न्यायालय तहसीलदार कोटपूतली जयपुर(राज.)

मि.न. 03 / 2021

पीठासीन अधिकारी

सूर्यकान्त शर्मा (आरटीएस)

1. हनुमान प्रसाद पुत्र केहरा
2. अनिता देवी पत्नि धर्मपाल
3. मोहित पुत्र धर्मपाल नाबालिग जरिये वली माता प्रार्थीया संख्या 2 अनिता देवी पत्नि धर्मपाल समस्त जाति मीणा निवासी ग्रम पवाना अहीर तहसील कोटपूतली

प्रार्थीगण.....

1. बहादुर पुत्र मोठूराम
2. प्रकाश पुत्र मोठूराम
3. भूपेन्द्र पुत्र बहादुर
4. दिनेश पुत्र बहादुर
5. सुरेश पुत्र गिरधारीलाल
6. राजेश पुत्र गिरधारी लाल
7. महेन्द्र पुत्र गिरधारी लाल
8. विजय पुत्र प्रकाश
9. विरेन्द्र पुत्र प्रकाश समस्त जाति अहीर निवासी ग्राम पवाना अहीर तहसील कोटपूतली

अप्रार्थी गण.....

प्रार्थना पत्र अन्तगर्त धारा 183 बी राजस्थान कास्तकारी अधिनियम ।

निर्णय

दिनांक–19.5.2022

पत्रावली पेश हुई ।

सूक्ष्म वृतांत इस प्रकार है कि प्रार्थी द्वारा प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 183 बी राजस्थान कास्तकारी अधिनियम के तहत प्रस्तुत की गई ।प्रार्थी ने अपने प्रार्थना पत्र में

तहसीलदार
कोटपूतली (जयपुर)

कथन किया है कि वाके ग्राम पवाना अहीर तहसील कोटपूतली के खसरा नंबर 570/0.24,568/0.45,572/0.21 है0 स्थित है जिसके खातेदार काश्तकार प्रार्थी संख्या 1 हनुमान पुत्र केहरा जाति मीणा नि0 पवानाअहीर हि01/2 व धर्मपाल पुत्र जगदीश जाति मीणा निवासी पवाना अहीर हि01/2 हैं। धर्मपाल पुत्र जगदीश फौत हो गया जिनके वारिसान प्रार्थी संख्या 2 व3 है। इस प्रकार उपरोक्त आराजी के खातेदार काश्तकार प्रार्थी 1 लगायत 3 हैं। तथा प्रार्थी संख्या 1 85 वर्ष के वृद्व व्यक्ति हैं तथा प्रार्थी संख्या 2 पर्दानशीन स्त्री है, प्रर्थी संख्या 3 नाबालिग है साथ ही प्रार्थीगण अनुसूचित जनजाति के सदस्य हैं प्रार्थी संख्या 1 की वृद्वावस्था व प्रार्थी संख्या 2 के पर्दानशीन का नाजायज फायदा उठाते हुए प्रार्थीगण की उपरोक्त आराजी पर नींव खोदकर अप्रार्थीगण द्वारा निर्माण कार्य कर लिया जिसकी पूर्व में प्रार्थीगण ने पुलिस थाना सरूण्ड में लिखित शिकायत दर्ज करवायी थी जिस पर अप्रार्थीगण के द्वारा दिनांक 10.07.2020 को पुलिस थाने में लिखित में सहमति प्रस्तुत की थी कि अप्रार्थीगण की भूमि में किसी प्रकार का अतिक्रमण नहीं किया जावेगा। अब अप्रार्थीगण नहीं मान रहे व प्रार्थीगण की खातेदारी भूमि पर लैट्रिंग बाथरूम का निर्माण कर लिया है तथा मना करने पर नहीं पर भी नहीं मान रहे व लड़ाई झगड़ा कर रहे हैं प्रार्थीगण अनुसूचित जनजाति के सदस्य हैं एवं उनकी भूमि पर अप्रार्थी संख्या 1 लगायत 9 जोकि गैर अनुसूचित जाति कि हैं द्वारा अवैध कब्जा कर रखा है जिसे बेदखल कर प्रार्थीगण का कब्जा दिलवाया जावे। प्रर्थना पत्र अन्तगर्त धारा 183 बी आर.टी.एक्ट. प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि वाके ग्राम पवाना अहीर के खसरा नंबर 570/0.24,568/0.45,572/0.21 है0 पर से अप्रार्थीगण को बेदखल किया जाकर प्रार्थी को कब्जा संभलाने का निवेदन किया जाने पर प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर पटवारी हल्का से मुताबिक राजस्व रिकार्ड व मौका स्थिति की रिपोर्ट तलब की जाकर अप्रार्थीगण को जरिये नोटिस सूचित किया गया।

अप्रार्थी गण बार–बार अवसर दिये जाने के उपरान्त भी उपस्थित नहीं आये। अतः अप्रार्थीगण के विरूद्व एक पक्षीय कार्यवाही की जाती है। अधिवक्ता प्रार्थीगण उपस्थित आये तथा मौखिक बहस सुनी गई । अधिवक्ता प्रार्थीगण ने अपने प्रार्थना पत्र में कहे गये तथ्यों को दोहराते कथन किया की प्रार्थीगण की खातेदारी भूमि पर से अप्रार्थीगण को बेदखल किया जाकर प्रार्थीगण को कब्जा संभलाया जावे। पटवारी हल्का ने अपनी रिपोर्ट में बताया है कि मुताबिक राजस्व रिकार्ड हाल जमाबन्दी सं0 2076–79 ग्राम पवाना अहीर के उक्त खसरा नंबरान की किस्म चाही है तथा धर्मपाल पुत्र जगदीश हि0 1/2, हनुमान पुत्र केहरा हि01/2 जाति मीणा निवासी पवाना अहीर के नाम खातेदारी दर्ज रिकार्ड है। मौके पर खसरा नंबर 568/0.45 है0 व 572/0.21 है0 में फसल चना,सरसों, गेहूँ खडी है जो हनुमान पुत्र केहरा जाति मीणा निवासी पवाना अहीर द्वारा कब्जे काश्त की जा रही है। तथा खसरा नंबर 570 में पुरानी आबादी बसी हुई है जिसमें चुना पत्थर के पुराने मकान बने हुए हैं मौके पर खसरा नंबर 570/0.24 है0 में लगभग 15 परिवार बसे हुए हैं। जो बहादुर, प्रकाश पुत्र मोठूराम, सुरेश,राजेश, महेन्द्र पुत्र गिरधारी जाति अहीर, सुभाष पुत्र लादूसिंह, टिंकू,मोनू, लीकु पुत्र

तहसीलदार
कोटपूतली (जयपुर)

हुकमसिंह, पृथ्वी सिंह , बलबीरसिंह, प्रताप सिंह, विक्रमसिंह पुत्र सवाई सिंह, लक्ष्मी देवी पत्नि मदनसिंह , बिरजूसिंह, बजरंगसिंह, सरदारसिंह, रणजीतसिंह पुत्र मोतुसिंह जाति राजपूत के परिवार मोके पर बसे हुए हैं। लोगों के बताये अनुसार यह आबादी लगभग 60–70 वर्षो से बसी हुई है और इसे लोकल क्षेत्र में टिबा की ढाणी से जाना जाता है। राजस्व नक्शे में खसरा नंबर 570 में आबादी का निशान भी अंकित है।

हमने प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र , प्रार्थी अधिवक्ता की मौखिक बहस ,पटवारी हल्का शुक्लाबास द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट, पत्रावली पर संलग्न दस्तावेजों पर गौर किया तो विवेचन पर पाया कि प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र के अनुसार वाके ग्राम पवाना अहीर के खसरा नंबर 570/0.24,568/0.45,572/0.21 है0 किता 3 कुल रकबा 0.90 है0 प्रार्थी की खातेदारी में मुताबिक राजस्व रिकार्ड में दर्ज है जिसमें से पटवारी हल्का की रिपोर्ट के अनुसार खसरा नंबर 568 व572 में प्रार्थीयान द्वारा स्वयं द्वारा काबिज होकर कास्त किया जाना अवगत करवाया गया है। अतः अनुसूचित व्यक्ति की खातेदारी भूमि पर अन्य जाति के व्यक्ति द्वारा अतिक्रमण किया जाना सिद्व नहीं होता। अतः प्रार्थना पत्र अर्न्तगत धारा 183 (बी) राजस्थान कास्तकारी अधिनियम के तहत विचार करने योग्य प्रतीत नहीं होता है अतः खसरा नंबर 568 व 572 तक प्रार्थना पत्र अस्वीकार किया जाता है। तथा खसरा नंबर 570 में पुरानी आबादी व नक्शा लट्ठा में आबादी का चिन्ह दर्ज है किन्तु राजस्व रिकार्ड जमाबंदी जो कि रिकार्ड ऑफ राईट की श्रेणी में है। प्रार्थीगण की खातेदारी में दर्ज है उसमें गैर अनुसूचित जन–जाति के व्यक्तियों का कोई अधिकार सृजित नहीं हो सकता यदि किसी अधिकार का दावा भी किया जाता है तो प्रारम्भ से अवैध व शून्य है। अप्रार्थीगण को तामिल होने के बाद भी उनकी ओर से कोई पक्ष प्रस्तुत नहीं किया गया ना ही उपस्थित आये ।अतः खसरा नंबर 570 वाके ग्राम पवाना अहीर पर अप्रार्थीगण का अवैध अतिक्रमण किया जाना स्वतः ही सिद्व होता है। अतः खसरा नंबर 570 तक प्रार्थना पत्र धारा 183 बी राजस्थान कास्तकारी अधिनियम के तहत स्वीकार किया जाता है तथा प्रार्थीगण की खातेदारी भूमि खसरा नंबर 570/0.24है0किस्म जाव I वाके ग्राम पवाना अहीर पर अप्रार्थीगण को अतिक्रमी घोषित किया जाकर प्रार्थीगण की खातेदारी भूमि खसरा नंबर 570/0.24 है0 वाके ग्राम पवाना अहीर से अप्रार्थीगण को बेदखल किये जाने के आदेश दिये जाते हैं व नाजायज रूप से अतिक्रमण करने के आरोप में लगान राशि 6.08रू का पचास गुणा 304 रू अर्थदण्ड के रूप में जुर्माना किया जाता है। भू–अभिलेख निरीक्षक एवं पटवारी हल्का को तहरीर जारी हो तथा मांग कायमी हेतु तहसील राजस्व लेखाकार को लिखा जावे। निर्णयानुसार कार्यवाही पूर्ण होकर पत्रावली दाखिल दफतर होकर नंबर से कम हो।

निर्णय आज दिनांक 19.5.22 को सरे इजलास सुनाया गया।

तहसीलदार
कोटपूतली (जयपुर)

22-03 ...... के रा० नं० 4
50 पर 304.36
... किये गये।
12/7/22
राजस्व लेखाकार
कोटपूतली